

C/No 82/2022

06/07/22

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा अप.
नहीं वकील शर्मा को रोक-रोक कर 5:30 P.m.
तक आवाज लगावई गई वकील शर्मा उनका
कोई प्रतिनिधि अप. नहीं। कता शर्मा के शर्मा
पत्रको अदम बेरवी अदम हाजरी में थारिज किया
जाता है।

अतः पत्रावली फैसल सुमार होकर पत्रावली
नाम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

